

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/ 552 /2025, लखनऊ :: दिनांक- 28.03, 2025

संशोधित आदेश

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर अपने पत्र सं0
स0वा0क0अधि0/98/2025 दिनांक 26.03.2025 द्वारा अवगत कराया है कि मुख्यालय के आदेश
सं0 359/2025 दिनांक 25.02.2025 द्वारा दिनांक 01.04.2025 से 04.04.2025 तक की गठित युगल
पीठ में नामित किया गया है किन्तु व्यक्तिगत कारणों से गठित युगल पीठ में सम्मिलित होने में
असमर्थ हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि उक्त अवधि की युगल पीठ में प्रतिभाग करने
वाले न्यायिक सदस्य, पीठ-अलीगढ़ ने उक्त नियत युगल पीठ को निरस्त किए जाने हेतु सहमति
व्यक्त की है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति पर सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत आदेश सं0
359/2025 दिनांक 25.02.2025 द्वारा जनपद कानपुर में दिनांक 01.04.2025 से 04.04.2025 तक
गठित युगल पीठ निरस्त की जाती है।

शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-28.03.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3 कानपुर एवं न्यायिक सदस्य पीठ अलीगढ़।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी
मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/वृहत्तर पीठ गठन/ /2025, दिनांक:- मार्च 28, 2025,
संशोधित आदेश

मुख्यालय के आदेश संख्या 279/2025 दिनांक 10.02.2025 द्वारा दिनांक 01.04.2025 व 02.04.2025 को गठित वृहत्तर पीठ में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त श्री राजीव रंजन, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, प्रयागराज श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, लखनऊ श्री प्रिस कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ अयोध्या एवं तत्पश्चात संशोधित आदेश सं0 366/2025 दिनांकित 27.02.2025 द्वारा श्रीमती ज्योत्सना पाण्डेय, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ मुजफ्फरनगर को नामित किया गया था।

अपरिहार्य परिस्थितियों में दिनांक 01.04.2025 व 02.04.2025 को गठित वृहत्तर पीठ में श्री अजय विक्रम सिंह, न्यायिक सदस्य, पीठ-1, लखनऊ के स्थान पर श्री हेमन्त कुमार, न्यायिक सदस्य, पीठ अलीगढ़ को नामित किया जाता है।

शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/ - 28.03.2025
(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/ वृहत्तर पीठ गठन/554/2025, दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1 प्रयागराज, पीठ-1, पीठ अलीगढ़, पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ, पीठ-2, पीठ-अयोध्या एवं पीठ मुजफ्फरनगर।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
- 3- वरिष्ठ सहायक(नाजिर), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि लखनऊ के बाहर से आने वाले अधिकारीगण के उक्त अवधि के लिए प्रवास हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/वृहत्तर पीठ गठन/555/2025, दिनांक:- मार्च 28.2025,
संशोधित आदेश

मुख्यालय के आदेश संख्या 280/2025 दिनांक 10.02.2025 द्वारा दिनांक 03.04.2025 व 04.04.2025 को गठित पूर्ण पीठ में अधोहस्ताक्षरी के अतिरिक्त श्री अजय विक्रम सिंह, एच0जे0एस0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-1, लखनऊ एवं श्री सत्य पाल सिंह, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-2, लखनऊ को नामित किया गया था।

अपरिहार्य परिस्थितियों में दिनांक 03.04.2025 व 04.04.2025 को गठित पूर्ण पीठ में श्री अजय विक्रम सिंह, न्यायिक सदस्य, पीठ-1, लखनऊ के स्थान पर श्री हेमन्त कुमार, न्यायिक सदस्य, पीठ अलीगढ़ को नामित किया जाता है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-28.03.2025
(प्रतिमा श्रीवास्तव)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/ वृहत्तर पीठ गठन/555/2025, दिनांक :: उक्त।
प्रतिलिपि :: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ- अलीगढ़, पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर), मुख्यालय।
- 3- वरिष्ठ सहायक(नाजिर), मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि लखनऊ के बाहर से आने वाले अधिकारीगण के उक्त अवधि के लिए प्रवास हेतु उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 4-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।